

R-2  
R-2

प्रारूप-ख

(नियम 3 (1) देखिये)

// संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन //

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)

अनुविभाग खैरागढ़ जिला खैरागढ़-दुईयता-7082 (खग)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 2073 दिनांक 19/11/2025

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक) 08/12/2025 को ग्राम खहरिया खुर्द प0ह0न0 32 के भूमिस्वामी श्री अंशु सिंह आ ख0अजीव सिंह जाति राजपूत के आवेदित भूमि ख0न0 316/14 रकबा 0.0304 हे. का मौका निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उनके नातेदार अंशु सिंह / अजीव सिंह

(ख) सरपंच / पंच पार्थ

(ग) पटवारी / कोटवार प0ह0न0 32

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन वृक्ष - 0377

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या निरंक

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक \_\_\_\_\_ को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि-

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या निरंक

(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और संख्या 03 वृक्ष - सागौन

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या

(घ) वृक्ष कटाई के नियम,2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो,

(ङ) अन्य विवरण

[Signature]

[Signature]

[Signature]

राजस्व अधिकारी का नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

राजस्व निरीक्षक  
खैरागढ़

वन अधिकारी का नाम

पदनाम परिक्षेत्र सहायक

खैरागढ़  
हस्ताक्षर

R  
23/12/2025

// संयुक्त स्थल निरीक्षण //

आज दिनांक 08/12/25 को ग्राम खम्हरिया खुर्द पीओ नं० 32 रा.नि.मं. खैरागढ़  
 जिला खैरागढ़ (छ.ग.) में न्यायालय  
 अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/11/25 के परिपालन में आवेदक अंतरा सिंह  
 पिता/पति खेम अजीत सिंह जाति राजपूत निवासग्राम खम्हरिया खुर्द द्वारा  
 आवेदित भूमि ग्राम खम्हरिया खुर्द खसरा नं० 316/14 क्षेत्रफल 0.0304  
 हे. में स्थित इमारती सागौन वृक्षों का मौके पर राजस्व अधिकारी/कर्मचारी एवं वन विभाग के  
 अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार है:-

क/ इमारती वृक्ष का रोपण नहीं किया गया है वृक्ष नैसर्गिक है।

ख/ आवेदक की भूमि जिस पर वृक्ष खड़े है, वन विभाग से कितनी दूरी पर स्थित है 08 किलोमीटर

ग/ यदि पीओ लाइन से दूर है तो दूरी नहीं

घ/ क्या आवेदक के भूमि के अत्यंत समीप से पीओ लाइन गई हुई है नहीं

ड/ क्या प्रस्तावित वृक्ष काटने की अनुमति दिये जाने पर वन की भूमि से अवैध कटाई की संभावना है नहीं

उपरि-युक्त जनों के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]  
11/32

[Signature]  
राजस्व निरीक्षक  
खैरागढ़

परिक्षेत्र सहायक  
खैरागढ़

